कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक— 3775/मीरजापुर/15 दिनांक मीरजापुर, मार्च 20 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय— ओबरा—सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर—ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठ में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठों के पातन के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ— कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक— 1800/11—सी—FP/UP/Trans/40906/2019 लखनऊ दिनांक 05.03.2020 ।

महोदय,

ओबरा—सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर—ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठ में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठों के पातन के सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्तियों के निवारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक— 3525/मीरजापुर/15 दिनांक 06.03.2020 द्वारा प्रस्तावक संस्था से अनुरोध किया गया । उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तावक के स्तर की उनके पत्रांक—OCBTL/F4WL/44 द्वारा 12.03.2020 द्वारा आपत्तियों का निवारण कर अपेक्षित सूचना/अभिलेख मय संलग्नक सहित उपलब्ध कराया गया जिसे इस स्तर से परीक्षण कर निम्न प्रकार प्रेषित है :—

क0 सं0	उठायी गयी कमियॉ	निवारण
1	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है अतः प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंज वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नही है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न है।	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंज वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न है ।
2	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों की गणना वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न की गयी है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या— 76 पर संलग्न सूची में 367 वृक्षों का उल्लेख किया गया है जो कि गलत है।	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों की गणना वैज्ञानिक नाम सहित सशोधित गणना सूची संलग्नकर दी गयी है।
3	ऑनलाइन भाग—2 के कमांक 5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है अतः सही डाटा फीड करें।	ऑनलाइन भाग—2 के कमांक 5 में सही डाटा फीड कर दिया गया है।
4	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्नकर ऑनलाइन अपलोड करे।	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण में सही एन0पी0वी0 की दर से आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 3775 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि जनरल मैनेजर, ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड ,मकान नं0—116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिसालपुर रोड, बरेली —243006 उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर